Court of A.C.J.M.-I, Udakishunganj

UKG. P.S. – 43/20

GR – 179/20

20.04.20 अभियुक्त अमर यादव की ओर से e-filing के माध्यम से हाजरी एवं नवीन शक्ति पत्र के साथ आत्म-समर्पण सह जमानत आवेदन दाखिल किया गया जिसकी प्रतिलिपि विद्वान अभियोजन पदा० को प्राप्त है।

वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण V.C. द्वारा न्यायालय की सम्पूर्ण कार्रवाई की गई।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त को प्रस्तुत करते हुए जमानत आवेदन को प्रचालित किया गया। उनके द्वारा अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने का निवेदन किया गया।

विद्वान अभियोजन पदा० द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

सुना व अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्तुत वाद की प्राथ० धारा-341, 323, 504, 506, 379, 34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत दर्ज की गई है धारा-379 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट के अतिरिक्त अन्य सभी धाराएँ जमानतीय हैं। आरोपित चोरी के सामान तथा किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र की बरामदगी नहीं है। उभय पक्षों के मध्य जमीन संबंधित विवाद है। उभय पक्षों द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध वाद दर्ज कराया गया है। न्यायालय द्वारा दिनांक 06.03.20 को अन्य तीन सह अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किया गया है।

अतः मो०-10,000/- एवं समान राशि के प्रत्येक दो प्रतिभू के बंध पत्र दाखिल करने पर अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

प्र० अ० मु० न्या० दण्डा० I

पश्चात 20.04.20 उपरोक्त आदेश के आलोक में अभि० अमर यादव की ओर से वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण P.R. Bond दाखिल किया गया जिसमें यह घोषणा की गई है कि लॉक डाउन के समाप्ति के पश्चात स्थिति

क्रमशः

Court of A.C.J.M.-I, Udakishunganj

UKG. - 43/20

GR - 179/20

लगातार
20.04.20

सामान्य होने पर उनकी ओर से बंध पत्र दाखिल कर दिया जाएगा। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए अभि० का P.R. Bond स्वीकार किया जाता है।

लेखापित

अ० मु० न्या० दंडा०-I